13 अक्टूबर 2026, एनआईसी उत्तर प्रदेश राज्य केंद्र

पॉश (POSH) अधिनियम, 2013 पर जागरूकता कार्यशाला

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) उत्तर प्रदेश राज्य केंद्र में 13 अक्टूबर 2026 को "**कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013**" पर एक जागरूकता सत्र का सफल आयोजन किया गया।

उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (SIO), उत्तर प्रदेश श्री अमित भार्गव के मार्गदर्शन में आयोजित इस पहल का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके कानूनी अधिकारों एवं शिकायत निवारण प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक करना था। इस सत्र ने हर कर्मचारी के लिए एक सुरक्षित, सहयोगी और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए SIO के समर्पित प्रयासों को रेखांकित किया।

एनआईसी उत्तर प्रदेश में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की **अध्यक्ष एवं वैज्ञानिक-एफ श्रीमती शिल्पी जैन** ने एनआईसी और एनआईसीएसआई (NICSI) उत्तर प्रदेश के अधिकारियों तथा संविदा कर्मियों दोनों को कवर करते हुए पॉश (POSH) अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी।

इस हाइब्रिड सत्र में पूरे राज्य से व्यापक भागीदारी देखने को मिली:

- **व्यक्तिगत उपस्थिति:** लखनऊ स्थित योजना भवन में लगभग 45 एनआईसी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सत्र में शामिल हुए।
- **ऑनलाइन भागीदारी:** उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों (DIOs), जिला सूचना विज्ञान सहायकों (DIAs) और आउटसोर्स कर्मियों ने भारत वीसी (Bharat VC) प्लेटफॉर्म के माध्यम से भाग लिया।

पॉश प्रशिक्षण में 250 से अधिक प्रतिभागियों की सराहनीय उपस्थिति रही।

सत्र के दौरान **वैज्ञानिक-डी सुश्री अपर्णा खरे** ने भारत सरकार की एक केंद्रीकृत पहल **शी-बॉक्स (SHe-Box - Sexual Harassment electronic Box) पोर्टल** पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी:

- **सिंगल-विंडो प्रणाली:** यह संगठित, असंगठित, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए एक एकीकृत शिकायत पंजीकरण मंच के रूप में कार्य करता है।
- **सीधा प्रेषण:** इस पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतें समय पर जांच और कार्रवाई के लिए सीधे संबंधित सक्षम प्राधिकारी को भेज दी जाती हैं।

अपने समापन भाषण में अध्यक्ष, ICC ने इस बात पर जोर दिया कि यौन उत्पीड़न का सामना कर रही महिला कर्मचारी अपनी शिकायतें सीधे आंतरिक शिकायत समिति (ICC) को या ऑनलाइन 'शी-बॉक्स' पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकती हैं। उन्होंने समिति के सदस्यों का परिचय भी कराया और सभी प्रतिभागियों को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया।

आंतरिक शिकायत समिति (ICC) - एनआईसी उत्तर प्रदेश

- **श्रीमती शिल्पी जैन,** वरिष्ठ निदेशक (आईटी) एवं वैज्ञानिक-एफ, अध्यक्ष ।
- **श्री संतोष कुमार मिश्रा,** अनुभाग अधिकारी, सदस्य ।
- **श्रीमती शालिनी सिंह,** संयुक्त निदेशक (आईटी) एवं वैज्ञानिक-डी, सदस्य-संयोजक
- **सुश्री अपर्णा खरे,** संयुक्त निदेशक (आईटी) एवं वैज्ञानिक-डी, सदस्य

13 October 2026, NIC Uttar Pradesh State Centre

A workshop on the POSH Act, 2013

An awareness session on "**The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013**" was successfully organized at the National Informatics Centre (NIC) Uttar Pradesh State Centre on October 13, 2026.

Under the guidance of **Shri Amit Bhargava, Deputy Director General and State Informatics Officer (SIO), Uttar Pradesh,** the initiative focused on raising awareness among officials and staff regarding their legal rights and redressal pathways. The session underscored the SIO's dedicated efforts to guarantee a safe, supportive, and respectful environment for every employee.

Ms. Shilpi Jain, Scientist-F and Chairperson of the Internal Complaints Committee (ICC) on Sexual Harassment at Workplace at NIC Uttar Pradesh, delivered a comprehensive overview of the POSH Act, covering both NIC officials and hired manpower across NIC and NICSI Uttar Pradesh.

The hybrid session witnessed widespread participation across the state:

- **In-Person Attendance:** Around 45 NIC officers joined the session in person at Yojna Bhawan, Lucknow.
- **Virtual Participation:** District Informatics Officers (DIOs), District Informatics Assistants (DIAs) across all 75 districts of Uttar Pradesh, and hired manpower attended via the Bharat VC platform.

The POSH training was well-attended, with over 250 participants in attendance.

During the session, **Ms. Aparna Khare, Scientist-D**, presented a detailed walkthrough of the **SHe-Box (Sexual Harassment electronic Box)** portal—a centralized initiative by the Government of India.

- **Single-Window Mechanism:** Serves as a unified complaint registration platform for women employed across organized, unorganized, public, and private sectors.
- **Direct Routing:** Complaints registered on the portal are directly routed to the respective competent authority for timely investigation and action.

In her concluding remarks, chairperson, ICC highlighted that employees facing sexual harassment can submit complaints either directly to the ICC or through the online SHe-Box portal. She introduced the committee members and thanked all attendees for their active participation.

Internal Complaints Committee (ICC) - NIC Uttar Pradesh

- **Smt. Shilpi Jain,** Chairperson, Senior Director (IT) & Scientist-F
- **Mr. Santosh Kumar Mishra**, Member, Section Officer
- **Smt. Shalini Singh,** Member-Convener, Joint Director (IT) & Scientist-D
- **Ms. Aparna Khare,** Member, Joint Director (IT) & Scientist-D

13 October 2026, NIC Uttar Pradesh State Centre

Gallery/गैलरी











